# C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. X, Fifth Session, 2021/1942 (Saka)**
**No. 03, Tuesday, February 02, 2021/Magha13,1942 (Saka)**


| S U B J E C T | P A G E S |
|---|---|
| **ORAL ANSWER TO QUESTION** | |
| Starred Question No. 1 | 12-17 |
| **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| Starred Question Nos. 2 to 20 | 18-83 |
| Unstarred Question Nos. 1 to 201 and 203 to 230 | 84-716 |

**ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER** 719

**PAPERS LAID ON THE TABLE** 720-729

**ASSENT TO BILLS** 731-732

**PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE** 733-736

(i) 21st to 23rd Reports 733

(ii) Statements 733-736

**STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL**

9th to 15th Reports 737

**STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS**

226th to 229th Reports 738

**STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE**

121st to 124th Reports 740

**STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS**

317th to 322nd Reports 741

**MOTION RE: 18TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE** 742

**MATTERS UNDER RULE 377** 743-770

(i) Need to construct Over Bridges at level crossings near Sandila Railway Station in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

**Shri Ashok Kumar Rawat** 743-744

(ii) Need to address the drinking water problem in Jhargram Parliamentary Constituency, West Bengal

**Shri Kunar Hembram** 745

(iii) Need to utilise DMFT Fund in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

**Shri Subhash Chandra Baheria** 746

(iv) Need to take measures to bolster the economy of the country

**Shri Gopal Shetty** 747

(v) Need to expedite the construction of Railway Bridge at Manjhi, Bihar and doubling of Chapra-Varanasi Railway line

**Shri Janardan Singh Sigriwal** 748

(vi) Need to ensure timely payment of funds to beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana

**Shri Chunnilal Sahu** 749

(vii) Regarding basic road facilities on National Highway No. 53 in Rajnandgaon Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

**Shri Santosh Pandey** 750

(viii) Need to frame guidelines to regulate online games and gambling

**Shri Jagdambika Pal** 751

(ix) Need to rescind the notification declaring villages under Narmada district as 'Eco-Sensitive Zones'

**Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava** 752

(x) Need to augment train services in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana

**Shri Dharambir Singh** 752

(xi) Need to accelerate the construction of Dausa-Gangapur railway line

**Shrimati Jaskaur Meena** 753

(xii) Need to conserve ancient ponds in Tikamgarh Parliamentary Constituency

**Dr. Virendra Kumar** 754-755

(xiii) Regarding aborigines of Santhal Pargana region in Jharkhand

**Dr. Nishikant Dubey** 756

(xiv) Regarding prevention of illegal mining in Jharkhand

**Shri Jayant Sinha** 757

(xv) Need to establish an Indoor Sports Complex in Basti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

**Shri Harish Dwivedi** 758

(xvi) Regarding scraping farm laws

**Shri Abdul Khaleque** 759

(xvii) Need to provide tax holiday and transport subsidy to backward districts of Chhattisgarh

**Shri Deepak Baij** 760

(xviii) Regarding Semi High Speed Rail line Corridor connecting north and south ends of Kerala

**Shri Rajmohan Unnithan** 761

(xix) Need to create multilingual Government Websites

**Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian** 762

(xx) Need to repeal the farm laws

**Prof. Sougata Ray** 763

(xxi) Need to set up a Cotton University and Cotton Processing University in Parbhani Parliamentary Constituency, Maharashtra

**Shri Sanjay Jadhav** 764

(xxii) Need to construct a by-pass road on the eastern side of Jahanabad city in Bihar

**Shri Chandeshwar Prasad** 765

(xxiii) Regarding payment of pending subsidy amount to Odisha and lifting of par boiled rice from the state

**Shri Bhartruhari Mahtab** 766

(xxiv) Need to facilitate payment of dues of sugarcane farmers

**Kunwar Danish Ali** 767

(xxv) Need to fill teaching vacancies on regular basis in KVs of Telangana

**Dr. G. Ranjith Reddy** 768

(xxvi) Regarding payment of GST compensation to States

**Shrimati Supriya Sadanand Sule** 769

(xxvii) Regarding financial support under Rashtriya Arogya Nidhi

**Shri Syed Imtiaz Jaleel** 770

**MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS** 773-775

Shrimati Locket Chatterjee

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

———————— –

*Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

# OFFICERS OF LOK SABHA

## THE SPEAKER

Shri Om Birla

## PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

## SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

**LOK SABHA DEBATES**

LOK SABHA

---

Tuesday, February 02, 2021/ Magha 13, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Sixteen of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

**माननीय अध्यक्ष:** आज बहुत जोश में दिख रहे हैं, क्या बात है?

…(व्यवधान)

**16.01 hrs**

*At this stage, Shri Gurjeet Aujla, Shri T.N. Prathapan, Prof. Sougata Ray, Shri N.K. Premachandran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँगा। आप सब अपनी-अपनी सीट पर विराजें। आप जिस विषय को उठाना चाहते हैं, मैं उस पर चर्चा करने का आपको मौका दूँगा। आप सीट पर वापस जाएं और क्वेश्चन ऑवर के बाद चर्चा शुरू करें।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीट पर जाएं। क्वेश्चन ऑवर सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह आपका अधिकार है। पिछली बार प्रश्नकाल नहीं हुआ था, तो आपने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए आपके आग्रह से इस कोविड के समय में भी मैंने प्रश्नकाल शुरू किया है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपसे मेरा आग्रह है कि आप सभी अपनी-अपनी सीट पर विराजें। मैं आप सभी को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँगा।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप चर्चा करना चाहते हैं न? जाइए, क्वेश्चन ऑवर के बाद मैं चर्चा शुरू कराता हूँ।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्लीज। No. Please go back.

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** क्वेश्चन नम्बर 1, श्री भोला सिंह जी।

…(व्यवधान)

10

16.02 hrs

# ORAL ANSWER TO QUESTION

~~TO~~ माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 1, श्री भोला सिंहजी।

**LOSS DUE TO CYCLONE 'AMPHAN'**

***1. † SHRI BHOLA SINGH:**
**SHRI VINOD KUMAR SONKAR:**

**Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:**

**(a) whether a severe cyclone 'Amphan' had badly affected the country and if so, the details of losses suffered, State-wise;**

**(b) the details of relief sought by the affected States and the assistance provided to the farmers and fishermen by the Government, State-wise;**

**(c) whether there have been slow progress in utilization of funds by these State Governments for restoration of infrastructure and rehabilitation work;**

**(d) if so, the details thereof and the remedial action taken thereon;**

**(e) whether there is urgent need for building a resilient infrastructure to mitigate recurrent cyclone risk in these States; and**

**(f) if so, the details thereof along with the other steps being taken by the Government in this regard?**

**~~ANSWER~~**

**~~MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI)~~**

**~~(a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.~~**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)
(क) से (च) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(11)

~~(2)~~

विवरण

~~लो.स.ता.प्र.सं. 01~~

~~'अम्फन चक्रवात के कारण हुआ नुकसान' के संबंध में दिनांक 02 फरवरी, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में उल्लिखित विवरण~~

(क): जी, हां। 20 मई, 2020 को एक सुपर चक्रवाती तूफान 'अम्फन' देश के पूर्वी तट से टकराया था, जिसमें दो राज्य नामतः ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए है। प्रभावित राज्य सरकारों से प्राप्त हुई सूचना और अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ रिपोर्ट की गई क्षति/नुकसान के ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं:-

| राज्य | मानव जीवन की क्षति | क्षतिग्रस्त घर/झोपड़ियां (लाख में) | पशुधन की क्षति | प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टे. में) | मछुआरों की क्षतिग्रस्त नौकाएं और जाल |
|---|---|---|---|---|---|
| ओडिशा-चक्रवात 'अम्फन' | 0 | 0.49 | 38 | 0.11 | 28 नौकाएं |
| पश्चिम बंगाल-चक्रवात 'अम्फन' | 99 | 5.52 | 23927 | 5.71 | 8007 नौकाएं और 37711 जाल |

12

(3)

~~लो.स.ता.प्र.सं. 01~~

(ख): इन मामलों में राज्यों के प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल 23 मई, 2020 को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 'खाते के आधार पर' पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रु. और ओडिशा सरकार को 500 करोड़ रु. जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, दो अलग-अलग आईएमसीटी गठित कर ली गई थी, जिन्होंने नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए संबंधित राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

किसानों और मछुआरों की सहायता सहित चक्रवात से हुए नुकसानों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधी कार्य हेतु पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकारों ने क्रमशः 35,018.39 करोड़ रु. और 201.96 करोड़ रु. की सहायता के लिए अनुरोध किया था। आईएमसीटी की रिपोर्ट और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) की सिफारिशों के आधार पर, उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने एनडीआरएफ से पश्चिम बंगाल को 2,707.77 करोड़ रु. (कृषि के लिए 665.94 करोड़ रु. और मत्स्यन क्षेत्र के लिए 73.29 करोड़ रु. सहित) और ओडिशा को 128.23 करोड़ रु. (कृषि के लिए 4.64 करोड़ रु. और मत्स्यन क्षेत्र के लिए 0.01 करोड़ रु. सहित) की एक राशि का अनुमोदन उनके एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन करने की शर्त के साथ किया है।

(ग) और (घ): राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से खर्च मदों और मानदंडों के अनुसार करने और खर्च की निगरानी

13

(4)

नो.स.ता.प्र.सं. 01

करने के लिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) जिम्मेवार होती है। इसके अतिरिक्त, एसडीआरआफ के गठन और प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा विशेष उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ड) और (च)ः राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित आठ तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना करने और उसे वहां शुरू करने के साथ-साथ बड़ी अवसंरचना जैसेकि बहु-उद्देश्यीय चक्रवात शेल्टर, संपर्क सड़कों, सेलाइन इम्बेंकमेंट आदि के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के अंर्तगत पूरी की गई परियोजनाएं चक्रवातों के दौरान काफी मददगार सिद्ध हुई हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन की पद्धतियों, तैयारी, रोकथाम और कार्रवाई तंत्र में पर्याप्त सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना शासन की एक निरंतर और सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है।

******

**श्री भोला सिंह:** माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, वह बहुत ही अच्छा है। मैं इससे संतुष्ट हूँ। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अम्फन तूफान के कारण भारत के सभी तटवर्ती राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी जान-माल का नुकसान हुआ, परन्तु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व में सभी राज्यों में एनडीआरएफ के माध्यम से उचित सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसके फलस्वरूप इस दैवीय आपदा के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को काफी नियंत्रित किया जा सका है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि तूफान के कारण होने वाले नुकसान के पूर्वानुमान के लिए हमारी सरकार ने सदैव नूतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है? …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, आप जिन तथ्यों को लेकर आए हैं, आज प्रश्नकाल में किसान कल्याण पर ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। अच्छा होगा कि सदन के अन्दर आपको जो अधिकार दिए गए हैं, यह काम आप प्रश्नकाल के माध्यम से प्रश्न पूछकर करें।

…(<u>व्यवधान</u>)

**माननीय अध्यक्ष:** ये तख्तियाँ दिखाने और नारेबाजी का काम आप सदन के बाहर करेंगे तो उचित रहेगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

**श्री नित्यानंद राय:** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि अनुभव के आधार पर तथा भविष्यवाणी में एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से साइक्लोन और सुपर साइक्लोन के बाद की किसी भी स्थिति से निपटने में अपनी क्षमता में सुधार किया है। इसको इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्ष 1999 के दौरान ओडिशा में आए

सुपर साइक्लोन से 10 हजार लोगों की जानें गई थीं, जबकि इतनी ही तीव्रता वाले 'फेनी' साइक्लोन के समय केवल 65 लोगों की ही मौत हुई।...(व्यवधान)

चक्रवात की मॉनिटरिंग और चेतावनी प्रणाली की मौजूदा सुविधा बहुत ही एडवांस्ड है। मौसम विभाग विश्व में सक्रिय सर्वोत्तम भविष्यवाणी एजेंसियों में से एक है।...(व्यवधान) इसको विश्व मौसम संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, के द्वारा इस क्षेत्र में सभी इंडियन, ओशन-रिम कंट्रीज़ को चक्रवात संबंधी चेतावनी देने के लिए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ...(व्यवधान) भारतीय मौसम विभाग भविष्यवाणी के लिए उसी क्षमता वाले मॉडल का प्रयोग करता है, जो संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी – नेशनल ओशनिक एट्मॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के पास है। ...(व्यवधान)

चक्रवात की भविष्यवाणी में टैक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने के लिए भारतीय मौसम विभाग निरंतर नई पहलों को अपना रहा है और माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा में माननीय गृह मंत्री जी हमेशा इस मिशन पर तत्पर रहकर इसकी निगरानी करते हैं और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करते हैं। ...(व्यवधान) इस यूरोपियन टैक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने अनुभवों के आधार पर भारत आज दुनिया में इस क्षेत्र में सबसे आगे है और सुपर साइक्लोन या साइक्लोन से होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सका है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं।

...(<u>व्यवधान</u>)

**माननीय अध्यक्ष:** आप अपनी सीट्स पर जाएं और जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, मैं प्रश्न काल के बाद आपको चर्चा करने का मौका दूंगा।

...(<u>व्यवधान</u>)

**माननीय अध्यक्ष:** आज प्रश्न काल किसान कल्याण विषय पर है, जिस पर आप सदन में चर्चा कर सकते हैं। ये तख्तियां और नारे लगाने का काम आप सदन से बाहर करें तो उचित रहेगा।

...(<u>व्यवधान</u>)

———

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

**(Starred Question Nos. 2 to 20**

**Unstarred Question Nos. 1 to 201 and 203 to 230)**

**(Page No. 18-716 )**

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

**माननीय अध्यक्ष:** सभा की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

…(व्यवधान)

**16.06hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.*

**17.00 hrs**

*The Lok Sabha reassembled at Seventeen of the Clock.*

*(*Hon. Speaker *in the Chair)*

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपके नेता बोल रहे हैं और आप वेल में आ रहे हैं। आप संसदीय नियमों और प्रक्रिया का पालन कीजिए। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** अध्यक्ष जी, सारा देश देख रहा है कि हिंदुस्तान में किसान आज किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। अब तक लगभग 170 के आस-पास किसानों की जान इस आंदोलन में गई है।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है।

…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी:** अध्यक्ष जी, हम यही चाहते हैं। आप सदन का बिजनेस शुरू करने से पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू कीजिए। बाकी कार्यवाही बाद में हो सकती है। आज किसानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उससे लगता है कि हम ब्रिटिश जमाने में पहुंच गए हैं।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के समय आप इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। आप प्रश्न काल में भी इस विषय पर बोल सकते थे।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

**17.03 hrs**

*At this stage Prof. Sougata Ray, Shri Anto Antony, Dr. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

———

**17.03 ½ hrs**

## ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि संसदीय कार्य मंत्री से मुझे एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि वर्तमान कोविड-19 की स्थिति के कारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री को 17वीं लोक सभा के 5वें सत्र के दौरान कार्य सूची में सभा पटल पर रखे जाने वाले सूचीबद्ध किए गए पत्रों को सभी मंत्रियों की ओर से सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अर्जुन मेघवाल जी, आइटम नम्बर-2 से 12 तक।

———

**17.04 hrs**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)**: माननीय अध्यक्ष जी, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2913/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, श्री मनसुख मांडविया की ओर से, मैं राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उप-धारा **(1)** के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान **(**संशोधन**)** परिनियम, 2019 जो 27 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 355 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2914/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं नि:शक्त व्यक्ति

अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (संशोधन) नियम, 2020 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2915/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केंद्रीय भण्डारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2916/17/21]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 559(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2917/17/21]

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित पिरदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1202(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2918/17/21]

(4) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020, जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020, जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 496(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2919/17/21]

(5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 450(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) प्रतिरूप नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती का तरीका, नियुक्ति की प्रक्रिया,पदावधि, त्यागपत्र और हटाया जाना) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020, जो 23 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा.का.नि. 488 (अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 23 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(नौ) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/सीसीपीआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-

105/एमआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (कार्य का आवंटन और संचालन) विनियम, 2020, जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं.1-1/2020-सीसीपीए में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/एसीआर/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2920/17/21]

(6) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2921/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, श्री जी. किशन रेड्डी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 (2005 का संख्यांक 2) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 3/132/एफडी/डीएमएन/2020/ई-156562 जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत यथाविहित कर दर को बहाल किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2922/17/21]

(2) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय नियम, 2020, जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 3423 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

(तीन) अधिसूचना सं. 230/1/20/2020-डब्ल्यूएस-तीन जो 1 अक्तूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के आरंभ होने की तारीख से डा. जयंतकुमार मगनलाल व्यास की राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2923/17/21]

(3) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नियम, 2020, जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 3422 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

(तीन) अधिसूचना सं. 23011/93/2020-बीपीआरएण्डडी जो 1 अक्तूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से डा. बिमल पटेल को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(चार) अधिसूचना सं. 23011/98/2020-बीपीआरएण्डडी जो 4 दिसम्बर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के उसमें उल्लिखित शासी निकाय की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2924/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, श्री परषोत्तम रुपाला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2925/17/21]

(3) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2926/17/21]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2927/17/21]

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2928/17/21]

(7) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2582 (अ), जो 4 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में नए कीटनाशक को सम्मिलित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2929/17/21]

(8) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2020 जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 953(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2020 जो 30 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1404(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन) आदेश, 2020 जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2390(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 2930/17/21]

(9) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2931/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1255 (अ), जो 13 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सोसाइटी के रूप में कापार्ट के विघटन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में इसके विलय के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2932/17/21]

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2309 (अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-दो में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो के पैरा 27 में "आम आदमी बीमा योजना" के स्थान पर "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" वाक्यांश शामिल करना है।

(दो) का.आ. 2198 (अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक के पैरा 4 में "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक" के उपबंध को शामिल करना है।

[Placed in Library, See No. LT 2933/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, श्री अनुराग ठाकुर की ओर से, मैं शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति – दिसम्बर, 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई पर 35वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2934/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, श्री नित्यानंद राय की ओर से, मैं विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 695 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 11 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 17 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2935/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, श्री रतन लाल कटारिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2936/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रताप चंद्र षड्ंगी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2937/17/21]

…(<u>व्यवधान</u>)

———

**कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर):** माननीय अध्यक्ष जी**,** मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य यदि किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं**,** तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। …(व्यवधान) आज भी प्रश्न काल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी आग्रह किया था। यदि आज प्रश्नों पर चर्चा होती, तो मैं समझता हूं कि आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है।…(व्यवधान) यह सदन का समय बरबाद हो रहा है। हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि कोविड के समय में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है और तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने आसन से व्यवस्था दी है कि यदि माननीय सदस्य सीट पर विराजेंगे, तो मैं माननीय अधीर रंजन जी को बोलने दूंगा। आप अपने नेता को बोलने दीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

**17.05 hrs**

## ASSENT TO BILLS

**SECRETARY-GENERAL:** Sir, I lay on the Table the following ten Bills passed by the Houses of Parliament during the Fourth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 15th September, 2020:-

(i) The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2020;
(ii) The National Commission for Homoeopathy Bill, 2020;
(iii) The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020;
(iv) The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2020;
(v) The Homeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020;
(vi) The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020;
(vii) The Appropriation (No.4) Bill, 2020;
(viii) The Appropriation (No.3) Bill, 2020;
(ix) The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020; and
(x) The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

I also lay on the Table one copy each, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha, of following Seventeen Bills passed by the Houses of Parliament and assented to the President:

(i) The Aircraft (Amendment) Bill, 2020;
(ii) The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020;
(iii) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020;
(iv) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020;
(v) The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020;

(vi) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020;

(vii) The Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020;

(viii) The Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020;

(ix) The Companies (Amendment) Bill, 2020;

(x) The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020;

(xi) The Rashtriya Raksha University Bill, 2020;

(xii) The National Forensic Sciences University Bill, 2020;

(xiii) The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020;

(xiv) The Industrial Relations Code, 2020;

(xv) The Code on Social Security, 2020;

(xvi) The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and

(xvii) The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020.

———

**माननीय अध्यक्ष**: आइटम नंबर 14, 15, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी।

…(व्यवधान)

**17.05 ½ hrs**

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

### (i) 21st to 23rd Reports

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। …(व्यवधान)

(1) "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन" के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(2) "आईसीएआर के लेखाओं की जांच", "निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त न किया जाना" और "नारियल विकास बोर्ड की निधियों को अवरुद्ध करना" पर समिति के 110वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(3) "हल्के लड़ाकू विमान का अभिकल्प, विकास, विनिर्माण और शामिल करना" पर समिति के 114वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

### (ii) Action Taken Statements

**DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT):** Hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table the Statements showing Action Taken by Government on the Observations/Recommendations contained in the following Action Taken Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee:-

1. 9th Action Taken Report (17th Lok Sabha) on "Irregularities in procurement of Goods and Services, Award of work to non-existent firms, Unrealised VAT refund and Excess payment of departmental charges".
2. 49th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Rail Link to Kashmir".
3. 52nd Action Taken Report (16thLok Sabha) on "Procurement of Allopathic Drugs in CGHS".
4. 54th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Railways Finances".
5. 58th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Non-Compliance by Ministries in Timely Submission of Action Taken Notes on the Non-Selected Audit Paragraphs of the C&AG of India".
6. 81st Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Extra Avoidable Expenditure by ANURAG".
7. 83rd Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Land Management in Bharat Sanchar Nigam Limited".
8. 97th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Performance of Import and Export Trade Facilitation through Customs Ports".
9. 98th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Ratna and R-Series Hydrocarbon Fields".
10. 102nd Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Disaster Preparedness in India".

11. 115th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Performance Audit of Employees State Insurance Corporation and Special Audit of Medical Education Projects of ESIC".
12. 119th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Maintenance of Bridges in Indian Railways".
13. 125th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)".
14. 126th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana".
15. 130th Action Taken Report (16th Lok Sabha) on “Hydrocarbon Production Sharing Contracts”.
16. 6th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Injudicious Release of Grants".
17. 37th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Procurement of Stores and Inventory Control".
18. 46th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Revenue Loss due to Delay in levy of Toll Fees".
19. 49th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Administration of Universal Service Obligation (USO) Fund".
20. 54th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities (ASIDE) Scheme".

21. 68th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP)".

22. 69th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP)".

23. 70th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Excesses over Voted Grants and Charged Appropriations (2008-09)".

24. 75th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Canteen Stores Department".

25. 76th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Training of Pilots in the Indian Air Force".

26. 78th Action Taken Report (15th Lok Sabha) on "Functioning of Land and Development Office".

———————

…(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** आइटम नंबर 16, श्री राकेश सिंह जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

**17.07 hrs**

## STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

### 9th to 15th Reports

**श्री राकेश सिंह (जबलपुर):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

…(व्यवधान)

(1) खान मंत्रालय से संबंधित "जिला खनिज फाउंडेशन तथा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन" के बारे में 47वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(3) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(4) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(5) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(6) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(7) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

———

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आइटम नंबर 17, श्री दयानिधि मारन जी।

…(व्यवधान)

**17.07 ¼ hrs**

## STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
## 226th to 229th Reports

**SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL):** Hon. Speaker, Sir, I rise to lay on the Table the following Reports* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs:-

1. 226th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Twenty Fourth Report on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Home Affairs.
2. 227th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Twenty Fifth Report on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Development of North Eastern Region.
3. 228th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in the Two Hundred Twenty Second Report on the Management of Worsening Traffic Situation in Delhi.
4. 229th Report on Management of COVID-19 Pandemic and Related Issues.

———

* These Reports were virtually presented through video conferencing to the Hon. Chairman, Rajya Sabha on 21st December, 2020 and were forwarded to Hon. speaker, Lok Sabha the same day.

…(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** आप इतनी जोर से नारे लगा रहे हैं। आप अगर अपनी सीट पर जाकर बोलेंगे तो मैं आपकी बात को सुनूंगा। यह सदन वाद-विवाद और चर्चा के लिए है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी सीटों पर जाइए और चर्चा करिए।

…(व्यवधान)

**17.07 ½ hrs**

## STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
## 121st to 124th Reports

**DR. MAHESH SHARMA (GAUTAM BUDDHA NAGAR):** Hon. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table the following Reports* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

1. 121st Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in its 110th Report on the Functioning of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).
2. 122nd Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in its 120th Report on Demands for Grants (2020-21) (Demand No. 4) of the Ministry of AYUSH.
3. 123rd Report on the Outbreak of Pandemic Covid-19 and its Management.
4. 124th Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations contained in its 119th Report on Demands for Grants 2020-21 (Demand No. 43) of the Department of Health Research (Ministry of Health & Family Welfare).

———————

…(*Interruptions*)

* The Reports were presented to the Hon. Chairman, Rajya Sabha on 21st November, 2020 and forwarded to Speaker, Lok Sabha on 25th November, 2020.

**माननीय अध्यक्ष:** आइटम नंबर 19, श्री विष्णु दत्त शर्मा।

…(व्यवधान)

**17.08 hrs**

## STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS
## 317th to 322nd Reports

**श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो):** अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

**…(व्यवधान)**

(1) *ओलम्पिक खेल, 2021 के लिए तैयारी के संबंध में तीन सौ सत्रहवां प्रतिवेदन।
(2) * खेलो इंडिया योजना के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 311वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ अठारहवां प्रतिवेदन।
(3) *युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ उन्नीसवां प्रतिवेदन।
(4) * स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 312वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ बीसवां प्रतिवेदन।
(5) * महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थालयी समिति के 314वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन।
(6) * उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ बाईसवां प्रतिवेदन।

---

* These Reports were presented to Hon'ble Chairman on 24th December, 2020 under Direction 30(i) of Directions by the Chairman, Rajya Sabha when the House was not in Session and Hon'ble Chairman was pleased to order for the publication and circulation of those Reports under Direction 30(ii). Reports were also forwarded to the Lok Sabha Secretariat on the same day.

**17.08 ½ hrs**

## MOTION RE: 18TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):** Hon. Speaker, Sir, I beg to move:

> "That this House do agree with the Eighteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 1st February, 2021."

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 1 फरवरी, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन

से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

———

**17.09 hrs**

## MATTERS UNDER RULE 377*

**माननीय अध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, नियम-377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम-377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई थी और यदि वे उनको सभापटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर रख सकते हैं।

…(व्यवधान)

### (i) Need to construct Over Bridges at level crossings near Sandila Railway Station in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

**श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख):** मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद हरदोई में संडीला रेलवे स्टेशन से सटे तीन समपारों यानी 247, 248 और 249 का यातायात घनत्व एक लाख से अधिक वाहन इकाई (टीवीयू) से अधिक है और ये सभी एलसी को रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) से प्रतिस्थापित करने के लिए योग्य हैं, से संबंधित प्रकरण को मैं प्रश्न एवं नियम 377 के अधीन सदन में उठा चुका हूँ।

इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा मुझे जानकारी भिजवाई गई थी कि राज्य सरकार से लागत भागीदारी और समपार बंद करने के लिए आवश्यक सहमति के साथ इन स्थानों पर आरओबी के निर्माण के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सम्पर्क किया गया है और मुख्य सचिव स्तर पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा नियमित रूप से सम्पर्क करने के बावजूद राज्य सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण रेलवे राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि सण्डीला रेलवे स्टेशन पर उपरगामी सेतु के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग,

* Treated as laid on the Table.

अनुभाग: ॥, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 माहप्रबंधक, उत्तर रेलवे नई दिल्ली को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उक्त रेल उपरगामी सेतु को रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए रेल उपरगामी सेतु के निर्माण हेतु रेलवे की सहमति एवं लागत में सहभागिता के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराया जाए।

अत: अनुरोध है कि अब जबकि राज्य सरकर द्वारा उक्त रेल उपरगामी सेतु के निर्माण हेतु समस्त ओपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है, इसलिए अब इसके निर्माण में और अधिक विलम्ब न करते हुए उक्त रेल परगामी सेतु को रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित कराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करके रेलवे की सहमति एवं लागत में सहभागिता के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराते हुए निर्माण संबंधी कार्य को शीघ्र कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए।

**(ii) Need to address the drinking water problem in Jhargram Parliamentary Constituency, West Bengal**

**श्री कुनार हेम्ब्रम (झाड़ग्राम):** मेरे संसदीय क्षेत्र झारग्राम में पेय जल की समस्या गंभीर होती जा रही है। स्थानीय और जिला प्रशासन के प्रयासों से झारग्राम से कई किलोमीटर दूर लोगों तक टैंकरों से पीने का पानी पहुंचाया जाता है। दैनंदिन घरेलू उपयोग और मवेशियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने उस क्षेत्र का कई बार दौरा किया हैं और स्थानीय लोगों से समस्या से अवगत हुआ। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के शिलदा मंडल के कालियम में एक विशाल प्राकृतिक जलाधार है। जिसका पानी घरेलू, खेती और मवेशियों के उपयोग में किया जा सकता है। इस विशाल जलाधार के पानी को वाटर प्यूरिफिकेशन के माध्यम से पाइप लाइन द्वारा घर घर तक नल के जरिये आपूर्ति की जा सकती है। अतः जलशक्ति मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से समस्या को हल करने का उचित कदम उठायें।

## (iii) Need to utilise DMFT Fund in Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

**श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा):** भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में डीएमएफटी फण्ड में सैंकड़ों करोड़ रुपये पड़े हैं, परन्तु यह राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों में आमजन के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए खर्च नहीं की जा रही है। राज्य सरकार कानून बनाकर आधी राशि राज्य सरकार के खजाने में डाल रही है जो कि भीलवाड़ा जिले की जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि खनन के कारण हो रहे प्रदूषण से उनके जन जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और राशि राज्य सरकार दूसरी जगह लगाना चाहती है।

पाँच सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जो हर वर्ष बढ़ रही है, परंतु खर्च नहीं हो रही है, जबकि जिले में शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर बहुत काम बाकी है। गाँवों में अधिकांश विद्यालयों में जहाँ 10 कक्षाएँ चलती हैं, परंतु कक्षा कक्ष तीन ही हैं, ऐसी स्थितियाँ अस्पतालों की भी है। डीएमएफटी की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत ढाँचे के विकास में खर्च की जाये।

**(iv) Need to take measures to bolster the economy of the country**

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर):** यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक की Ease of doing business की 2019-20 की सूची में भारत की रैंकिंग में 14 पायदान का सुधार हुआ है तथा केन्द्र सरकार कोरोना जैसी भयंकर महामारी के चलते देश की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लाने हेतु अनेक सकारात्मक कदम उठा रही है। अतः देश में कोरोना की वजह से विकास की गति जो शिथिल हो गई है, उसको तीव्रता प्रदान करने हेतु सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करके एक विश्वासदायी माहौल देश में खड़ा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे देश के विकास के कार्य में पुनः तेजी आ सके।

**(v) Need to expedite the construction of Railway Bridge at Manjhi, Bihar and doubling of Chapra-Varanasi Railway line**

**श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज)**: मैं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के छपरा और बलिया रेलखंड में मांझी में बन रहे नए रेल पुल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह रेल खंड बिहार और उत्तर प्रदेश को रेल यातायात से जोड़ने वाला अतिमहत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस खंड के रेल पथ का दोहरीकरण भी हो रहा है लेकिन उक्त नए रेल पुल एवं रेल पथ के दोहरीकरण का कार्य अत्यंत ही धीमी गति से हो रहा है बल्कि हम कह सकते हैं कि निर्माण कार्य रुक सा गया है। विदित हो कि मांझी मेरी संसदीय क्षेत्र एवं बिहार राज्य का पुरातात्विक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन और धार्मिक स्थल है। इस स्थल पर पर्यटकीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से रेल मार्ग से यातायात कर आवागमन करना पर्यटकों एवं अन्य यात्रियों के लिए उक्त रेल से आना ही सुविधाजनक है।

अत: उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उपर्युक्त रेल खंड पर मांझी में बन रहे नए रेल पुल का निर्माण कार्य तीव्र गति से करने तथा छपरा-वाराणसी रेल पथ निर्माण कार्य का भी दोहरीकरण जल्द से जल्द करवा कर चालू कराया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ देश की जनता को भी इसका लाभ मिले।

**(vi) Need to ensure timely payment of funds to beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana**

**श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द):** प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को नया मकान बनाने हेतु सर्वे सूची अनुसार चिन्हित किया गया है वे हितग्राही इस योजना में अपने पुराने मकान तोड़कर या नए स्थान में मकान बना रहे हैं। एक से दो किश्त पश्चात राज्य सरकार द्वारा अपने मद की राशि (किश्तों) का भुगतान समय पर नहीं करने के कारण 40 से 50% मकान आधे-अधूरे व्यवस्था में हैं। हितग्राहियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने पर राशि न होने की बात कहकर बैरंग वापस कर दिया जाता है। हितग्राही मकान न होने की दशा में प्लास्टिक या घास की झोपड़ी बनाकर अन्यत्र निकासित वर्षा, सर्दी और गर्मी की कठिनाइयों से गुजरता हुआ सपरिवार ठगा सा महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा योजना की राशि तो दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मद की राशि को समय पर नहीं देने के कारण अधिकतम हितग्राहियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: सरकार से मेरी गुजारिश है कि अपूर्ण मकानों हेतु राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाए।

**(vii) Regarding basic road facilities on National Highway No. 53 in Rajnandgaon Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh**

**श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव):** मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव शहर के बीचो बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 जी.ई. रोड गुजरती है जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन ठाकुरटोला टोल प्लाजा निर्मित है। जहाँ 82 कि.मी. लम्बी सड़क के लिए टोल की वसूली की जाती है। रोड में मूलभूत सुविधाओ का आभाव है जिसके कारण निरंतर सड़क दुर्घटनाए होती रहती है। रोड के दोनों तरफ स्थित ग्राम टेड़ेसरा ग्राम देवादा के मुख्य चौक में हाई मास्क लाइट का आभाव है जिसके कारण दुर्घटनाए होती रहती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पार्री पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्घटना जन्य मोड़ के रूप में चिन्हित हो चुका है। जहाँ शहर के राम मंदिर से लेकर ग्राम पार्री मोड़ तक सर्विस रोड की मांग निरंतर की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर के अन्दर नव निर्मित मेडिकल कॉलेज भवन के मोड़ पर पासिंग नहीं होने के कारण मरीजो को लगभग 3 कि मी उलटे रास्ते से जाना पड़ता है जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तत्संबंध में मेरे द्वारा मुख्यप्रबंधक NHAI क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में तीन बार पत्र (1)क्र 1159 दिनांक 12.01.2020 (2)क्र 1187 दिनांक 11.02.2020 (3)क्र 1801 दिनांक 03.01.2021 प्रेषित किये गए हैं, एक बार माननीय मंत्री जी का ध्यान पत्र क्र. 1802 दिनांक 03.01.2021 के माध्यम से आकृष्ट किया गया है। मेडिकल कॉलेज के समीप ही महाराणा प्रताप भवन निर्मित है जहाँ क्षेत्रीय समाज की निरंतर गतिविधि तथा जुलूस व सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज में डिवाइडर तोड़ कर क्रासिंग देना अपरिहार्य है।

**(viii) Need to frame guidelines to regulate online games and gambling**

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) :** भारत का युवा बहुत ही प्रतिभावान है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से यह युवा पबजी और टिकटॉक जैके नकारात्मक एप्स के चंगुल में फंसता जा रहा है। इनका उपयोग नशे की लत के बराबर माना जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने गेमिंग एडिक्शन को डिसॉर्डर यानी कि विकार के रूप में अनुसूचित किया है। और तो और आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से गेमिंग (खेल) और गैम्बलिंग (जुआ) के बीच का फर्क बहुत ही धूमिल होता जा रहा है। आजकल कई एप्स ऐसे गेम्स और फीचर्स जोड़ रहे हैं, जिससे व्यक्ति उस एप पर ज्यादा समय बिताए। देश में कई ऐसे नए-नए प्रकार के एप्स आ रहे हैं, जो नागरिकों को, खासकर कि युवाओं को जल्द पैसा बना लेने के लालच से आकर्षित करने की कोशिश में रहते हैं और कई हद तक सक्षम भी रहे हैं। यह देश के युवा को खेल के भेष में जुए की लत में डाल रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ-साथ गेमिंग और गैम्बलिंग के लिए भी आवश्यक नियम जारी करे।

**(ix) Need to rescind the notification declaring villages under Narmada district as 'Eco-Sensitive Zones'**

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच):** गुजरात के मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत नर्मदा जिले में अधिसंख्य आदिवासी लोग निवास करते हैं तथा अपनी आजीविका के लिए ये लोग वनोपजों के साथ ही पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। नर्मदा जिले के कुल 121 गांवों को भारत के राजपत्र के माध्यम से "इको-सेंसिटिव जोन" में शामिल किया गया है। "इको-सेंसिटिव जोन" के तहत उपरोक्त गांवों में किसानों की विधिक मालिकाना हकवाली जमीनों में सरकारी लोगों ने दखल देना शुरू कर दिया है। "इको-सेंसिटिव जोन" में शामिल उपरोक्त गांवों में सीधे सरकारी दखल के चलते आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ निषिद्ध होने के साथ ही उनके सामाजिक विकास और आजीविका के नुकसान होने का खतरा है। देश का यह वंचित वर्ग सरकार से अपने जंगल और जमीन से छेड़छाड़ किए बिना अपने कल्याण परक विकास की अपेक्षा रखता है। नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आस-पास के क्षेत्र के साथ ही तेजी से विकसित हो रहे मालसामोठ आदि क्षेत्रों को भी "इको'सेंसिटिव जोन" के दायरे से तत्काल मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि आदिवासी बाहुल्य नर्मदा जिले में शांति और विकास के लिए "इको-सेंसिटिव जोन" की अधिसूचना को तत्काल रद्द करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

**(x) Need to augment train services in Bhiwani-Mahendragarh Parliamentary Constituency, Haryana**

**श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़):** ट्रेन संख्या 02993-94 चैतक सुपर फास्ट ट्रैन का स्थाई ठहराव अटेली मे किया जाए । जनता की मांग पर रोहतक से जयपुर वाया अटेली और नारनौल, हिसार से जयपुर वाया अटेली और नारनौल, दिल्ली से जयपुर वाया अटेली और नारनौल, सीकर से रेवाडी वाया अटेली और नारनौल नई डी.एम.यू. ट्रेन चलाई जाए । लोहारु से भिवानी नई ट्रेन को चलाया जाए । दिल्ली से भिवानी-दादरी ट्रेन चलाई जाए।

## (xi) Need to accelerate the construction of Dausa-Gangapur railway line

**श्रीमती जसकौर मीना (दौसा):** दौसा-गंगापुर रेल परियोजना 1998 में स्वीकृत हुई थी। यह परियोजना 21 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो पाई है। 92 किलोमीटर रेल लाइन बनाने में इतना विलम्ब होने से जनता का धैर्य भी जवाब देने लगा है। इस पर बने अंडरपास जल निकास की कमी के कारण जन हानि का कारण बन रहे हैं। इन सभी को टिन शेड से ढका जाना आवश्यक है। रेलवे के विस्तार पर हमारी सरकार का ध्यान है। अत: इस रेलवे लाइन को गंगापुर सिटी के आगे करौली व धौलपुर से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। करौली धार्मिक नगर के साथ-साथ लाल पत्थर का बड़ा क्षेत्र है। जिस पत्थर से ऐतिहासिक लाल किला व हमारी संसद का भवन बना हुआ है। डांग क्षेत्र की पिछड़ी जनता को भी रेल यातायात मुहैया होगी और माँ कैला देवी के दर्शनार्थी भी इसका लाभ उठाएंगे।

## (xii) Need to conserve ancient ponds in Tikamgarh Parliamentary Constituency

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** बुन्देलखण्ड क्षेत्र अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र के टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में प्राचीन समय में शासकों के द्वारा 1100 से अधिक चंदेलकालीन तालाबों का निर्माण कराया गया था। इन तालाबों का निर्माण लगभग 9वीं से 12वीं सदी के बीच चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया और ये सभी तालाब चंदेल राजाओं की तकनीकी सूझबूझ के अद्वितीय उदाहरण हैं। ये चंदेलकालीन तालाब बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पारंपरिक धरोहर हैं। इन तालाबों को बनाते समय यह ध्यान में रखा गया कि बारिश के पानी की एक-एक बूंद को संग्रहित किया जा सके। इनमें कैचमेंट एरिया और कमांड का बेहतरीन तालमेल निर्धारित किया गया था। किन्तु इन तालाबों को पर्याप्त संरक्षण न मिलने के कारण वर्तमान कुछ चंदेलकालीन तालाब ही शेष बचे हैं। अधिकांश तालाब अतिक्रमण की चपेट में आकर समाप्त हो चुके हैं। इन शेष बचे तालाबों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर संरक्षण देने की आवश्यकता है।

वर्तमान में जलशक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत "कैच द रेन" अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इसी दिशा में कार्य करते हुए टीकमगढ़ के चंदेलकालीन तालाबों को संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा के जल को इन तालाबों में संग्रहित किया जा सके। इन तालाबों में जल भराव से न केवल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, बल्कि भूमि की नमी और भू-जल स्तर में भी वृद्धि होगी। साथ ही आपसे अनुरोध है कि बुन्देलखंड में बने इन तालाबों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए चंदेल काल में जो पद्धति अपनाई गई थी उसके अनुसार एवं टीकमगढ़ जिले में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत चल रही नदी तालाब जोड़ो योजना (हरपुरा - बीयर), जिसके पहले चरण में 11 तालाबों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई

थी, जिससे कि सिंचाई के लिए और निस्तार के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होनी थी, जिसका कार्य रूका हुआ है, इस योजना का पुनरीक्षण करवाकर इसे पूर्णता की ओर ले जाना आवश्यक है।

**(xiii) Regarding aborigines of Santhal pargana region in Jharkhand**

**DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA):** I refer to the matter raised under Rule 377 regarding inclusion of Khetauri, Ghatwal-Ghatwar and others as Scheduled Tribes in Parliament and received a reply from Hon'ble Minister of Tribal Affairs. But, amidst all this, no development has taken place in this regard so far.

I want to place a piece of great historical record – a book titled: "The Little World of an Indian District Officer", written by R. Carstairs and published by Macmillan & Co., London in 1912. In this book there is a detailed, historical record of the fact that the Santhal Pargana was created and named in 1855, and thus was the youngest of the Bengal districts. The writer provides a wonderful account and description of the Ghatwals (guardians of the passes) and the Khetowrie (Khetauri) and how at the time of the Permanent settlement in 1790, every part of the territory was occupied. It says that at the time of the Permanent Settlement there was NOT a single Sonthal in the whole of this area. "Bhunyas, Khetowries, Hindoos, Mahomedans, Highlanders – yes, but Sonthals, no".

It is a fact that when these findings were recorded and when the book in question was published, the concept of Scheduled Castes and Tribes did not exist in the context of what it means administratively today.

Thus, the aborigines of the region are the ones who have been deprived of their rightful status and claim to be recognized as Scheduled Tribes.

**(xiv) Regarding prevention of illegal mining in Jharkhand**

**SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH):** The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 provides for registration of dealers, transport challans, and strict penalties in case of contravention of the Rules. However, failure of the State Government in implementing these Rules is leading to unabated illegal mining. Recently, 4 people died in an illegal mining incident in Kodarma district. Also, the frequent instances of illegal sand mining from the Gawai and Damodar rivers highlight the failure of the state machinery. These incidents have occurred in the monsoon season when there is a ban by the National Green Tribunal on sand mining activities given the ecologically sensitive nature of the terrain. Because this issue needs urgent intervention, I would like to draw the attention of the Government to the State Government's inefficient handling, a situation that has caused major loss of life and resources besides compromising ecological balance.

## (xv) Need to establish an Indoor Sports Complex in Basti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

**श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती):** मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती, उत्तर प्रदेश मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ हैं, इन्ही में से एक खेलों के लिए उच्चस्तरीय सुविधा का ना होना है।

यहां खेलों के प्रति युवाओं में उत्साह पूर्व से रहा है। इस क्षेत्र ने कई राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश को दिए हैं किंतु खेद का विषय यह है कि यहां पर खेलों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का अभाव होने के कारण खिलाड़ियों को या तो अन्य बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है या तो खेल क्षेत्र को ही छोड़ना पड़ता हैं। अतः सरकार से निवेदन है उपरोक्त विषय को दृष्टिगत रखते हुये मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती, उत्तर प्रदेश में एक इंडोर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाये।

**(xvi) Regarding scrapping farm laws**

**SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA):** The farm laws passed in a haste last year without proper consultations and lack of discussions in the House, and termed as major reforms by Government have been outrightly rejected by the farmers protesting across the country. The Bill, void of MSP, is outside jurisdiction of courts and many such issues have made the farmers unsecure. The interests of farmers have been neglected. The Bill is pro-corporate, and it hurts the farmers' interests. The Government has so far maintained a rigid stand even though several rounds of talks failed to break the deadlock. The farmers who provide food to the nation have every right to decide what suits them. They are fighting for their rights in extreme cold weather. Many lost their lives. I convey my deepest condolences to the families of those who lost their lives during the protest. I demand that the Government repeal the farm laws immediately.

**(xvii) Need to provide tax holiday and transport subsidy to backward districts of Chattisgarh**

**श्री दीपक बैज (बस्तर):** केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर के कई राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला एवं उत्तराखण्ड में टैक्स होलिडे के तहत कर एवं जीएसटी में छूट और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देकर उद्योग-धंधे, व्यापार एवं निवेश हेतु प्रोत्साहन देती है। इससे टैक्स होलिडे और ट्रांस्पोर्ट सब्सिडी वाले क्षेत्रों का तेजी से विकास होता है और स्थानीय लोगों को रोज़गार के बेहतर अवसर मिलते हैं। प्राकृतिक संपदा से भरपूर चार राज्यों से घिरा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित पहाड़ी, आदिवासी क्षेत्र बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा व बीजापुर अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। कोरोना एवं लॉकडाउन के बाद इस क्षेत्र में निवेश हेतु टैक्स होलिडे और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने से क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। मेरी मांग है कि सरकार इस क्षेत्र में टैक्स होलिडे एवं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देकर उद्योग-धंधे, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे, इससे क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

**(xviii) Regarding Semi High Speed Rail line Corridor connecting north and south ends of Kerala**

**SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD):** The Semi High Speed Rail line corridor (Silver Line) connecting north and south ends of Kerala is the flagship project of K-Rail, a joint-venture of Government of Kerala and Ministry of Railways designed for the Infrastructure Development of Railways in Kerala. The State Cabinet has approved the line's Detailed Project Report. The estimated cost is Rs. 66,000 crore. The project is economically unviable as it will involve displacement of 20,000 families and having disastrous environmental impacts. The Railway Board has not yet approved the project. Hence, the project may be restructured as a two-tier fly-over project over existing coastal line. The first tier should be an 8-liner road and second tier, a 2-liner Semi High Speed Rail Line. The cost would be much lower than the present project and there would be no eviction or negative environmental impacts. In future, the line may be extended to Mumbai and Vizhinjam International seaports.

**(xix) Need to create multilingual Government websites**

**DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):** While disseminating information relating to the policies, programmes, schemes of the Union Government through websites of Ministries and Departments, unfortunately most of the people in the country are struggling to read and understand the contents as the websites are designed in Hindi or English only. It goes against the fundamental rights of the people enshrined in the Constitution and demean the very purpose of RTI Act 2005. It is the duty of the Government to ensure all its citizens know about its plans, policies, progress and achievements.

To achieve this, all Government websites should be made multilingual, designed and published in Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Gujarati, Bengali so that it will be read and understood by all. Therefore, I urge upon the Government to observe equality, in respect of language and make available the information and content of the websites of all the Ministries and departments in Tamil and other languages.

**(xx) Need to repeal the farm laws**

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** For the first time since India first celebrated Republic Day on January 26, 1950, there will be two parades in Delhi. One will be the official parade and the other is by the farmers of our country. It was a parade of tractors carrying angry farmers and their families. The reason for the farmers' parade was alleged Government refusal to listen to people. The farmers are trying to be heard, and the Prime Minister should listen. The real reason for this apparent dichotomy is that Modi's Government is being seen as arrogant and contemptuous. When the farmers began their siege on Delhi's borders, the first reaction of senior Ministers was to charge them with being Khalistanis and 'anti-national'.

I urge upon the Government to repeal the farm laws to safeguard crores of farmers and the survival of our farm sector along with the food security of the country.

## (xxi) Need to set up a Cotton University and Cotton Processing University in Parbhani Parliamentary Constituency, Maharashtra

**श्री संजय जाधव (परभणी):** महाराष्ट्र का मराठवाडा क्षेत्र कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां के किसानों की जीविका चलाने का मुख्य साधन कपास उत्पादन है। कपास की खेती कर किसान अपने परिवार का भरण-पोषण और अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। कपास से रूई निकाल कर कपड़े भी बनाये जाते हैं, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं होने के कारण यहां के कपास किसानों को तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी लागत आती है और कोई लाभ नहीं होता है। यदि मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री का निर्माण होता है तो यहां के किसानों को कॉटन निर्माण के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उनका खर्च भी बचेगा और वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे। क्षेत्रीय जनता को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, बेरोजगारी दूर होगी, इसके साथ ही राज्य एवं केन्द्र सरकार को अच्छा राजस्व भी मिलेगा।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी (महाराष्ट्र) में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री को स्थापित करने की कृपा करें, जिससे कि किसानों को फायदा मिल सके।

**(xxii) Need to construct a by-pass road on the eastern side of Jahanabad city in Bihar**

**श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद):** मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद (बिहार) में एन.एच. 83 मई गुमटी से पूरब कुमडीहा होते पिंजोरा रोड से कनक बिगहा नहर होते बरबरा एनएच 110 से पश्चिमी चमड़ी गोदाम ऐनमा मोड़ से अलगना होते पश्चिम एन एच 83 में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के पास मिल जाता है। जहानाबाद पूरब से बाइपास बनने पर जहानाबाद जिला का पूर्बी क्षेत्र, वाणावर, नालंदा जिला का बिहार शरीफ, पर्यटन स्थल नालंदा, राजगीर, पावापुरी, ककोलता, गया जिला का अतरी विधानसभा क्षेत्र इत्यादि स्थानों पर आने जाने में काफी सुविधा होगी। मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि लाखों लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जहानाबाद शहर के पूरब से होते हुए एक बाइपास पथ का निर्माण कराया जाए।

**(xxiii) Regarding payment of pending subsidy amount to Odisha and lifting of par boiled rice from the State**

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Odisha procures paddy in the State through various agencies and pays the Minimum Support Price (MSP) of paddy to the farmers by taking loan. The Union Government, through the Food Corporation of India (FCI), lifts the surplus rice from the State for the Central Public Distribution System (PDS) Pool and pays the subsidy amount in advance. This subsidy amount is supposed to be paid in the first month of every quarter to pay the MSP to the farmers. At present, about Rs. 6,040 crore of subsidy is pending with the Union Government. During 2020-21, the Odisha Government has set a target to procure 82 lakh MT of paddy, which would be 55 lakh MT in terms of rice, with almost all of it parboiled rice. Of the 55 lakh MT rice, around 24 lakh MT will be consumed in Odisha while the Union Government, through the FCI, should lift the remaining rice according to the agreement. Recently the Union Government has sent a letter stating that it would limit the lifting of parboiled rice to the extent of 50 per cent of the original estimate and would not accept any surplus rice which is going to affect the interest of farmers at large. I, therefore, urge the Government to immediately release the pending subsidy amounting to Rs.6,040 crore and also withdraw the decision of limiting the lifting of parboiled rice from Odisha by FCI.

**(xxiv) Need to facilitate payment of dues of sugarcane farmers**

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा का किसान भी कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। राज्य सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में तीन साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में चीनी मिलें पिछली दरों पर ही गन्ने की खरीद कर रही है। साल 2019-20 के सत्र में बहुत से किसानों को अब तक बकाए का भुगतान नहीं किया गया। पिछले सत्र में मेरठ जोन में 557 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों पर बाकी है। अगर चालू सत्र 2020-21 की बात करें तो अब तक केवल 20 फीसद गन्ना भुगतान ही चीनी मिलों ने किया है। इस सत्र में मेरठ जोन में किसान 1718 करोड़ रुपये का गन्ना चीनी मिलों को दे चुके हैं, लेकिन महज 354 करोड़ रुपये का भुगतान ही हो सका है। मेरी सरकार से मांग है कि गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

**(xxv) Need to fill teaching vacancies on regular basis in KVs of Telangana**

**DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA):** Education is not filling of a pail, but lighting a fire in students and it is teachers who lit that fire – inner ability of students. And Bill Gates rightly said that technology is just a tool. For kids to work together and motivating them, teacher is most important. So, it is the teacher who makes difference, not the classroom. Our KVs stand on a different pedestal as far as imparting education is concerned. But vacancies of teachers in KVs are impacting learning process and academic performance of students. There are 35 KVs in Telangana and sanctioned strength of teachers is 1208. But there are only 959 regular teachers which means there are 249 vacancies (25 per cent). Some vacancies are filled with contract teachers who cannot be as responsible as regular teachers. So, I request Education Minister to take immediate steps to fill 249 teaching vacancies on regular basis in KVs of Telangana.

**(xxvi) Regarding payment of GST compensation to States**

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** When the GST was envisaged the Centre assured to compensate the States for their loss of tax revenue resulting from GST implementation. Due to the inadequate balance in the GST Compensation Fund, there has been a delay in the transfer of GST compensation cess to all States since April 2020. As per the Finance Ministry data, for the State of Maharashtra, the provisional amount of GST Compensation due for (April-July, 2020) was Rs. 22,485 crore. During the same period, the compensation arrears for all States combined was Rs. 1,51,365 crore. Such delay in the devolution of funds from the Centre is severely limiting the States' ability to spend on their welfare and development including keeping COVID-19 under control. I urge the Government to specify a timeline by when the States can expect to be paid GST compensation, and also release due funds to States at the earliest.

**(xxvii) Regarding financial support under Rashtriya Arogya Nidhi**

**SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD):** The current provision of one-time financial support up to INR 15 lakh under the Umbrella Scheme of Rashtriya Arogya Nidhi (RAN) by the Central Government for treatment of rare diseases is highly inadequate and of little use to all those patients, particularly children, whose life-threatening medical condition requires repeated infusion therapy. There are increasing cases across several states, including 8 children from Maharashtra alone, who have lost their lives since the earlier National Policy for Treatment of Rare Diseases 2017 has been kept in abeyance, and the new policy still awaiting finalization and notification. As guaranteed under Article 21 of the Constitution, it is the Union of India's obligation to provide all necessary support to these patients diagnosed with Group 3 disorders (rare, genetic diseases). Despite all requests and petitions by these patients and the support societies, the Union of India has so far shown an indifferent attitude towards supporting them.

———

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह सदन चर्चा, वाद-विवाद और संवाद के लिए है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपको देश की जनता ने यहाँ इसलिए चुनकर भेजा है कि आप चर्चा, संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं पुन: आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। यह सदन नारेबाजी करने और तख्तियाँ दिखाने के लिए नहीं है। यह सदन चर्चा, वाद-विवाद के लिए है।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। आप जितनी जोर से नारे लगा रहे हैं, आप अपनी सीट पर जाकर उतनी जोर से बोलिए।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सभा की कार्यवाही सात बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

…(व्यवधान)

**17.11 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Nineteen of the Clock.*

**19.00 hrs**

*The Lok Sabha reassembled at Nineteen of the Clock.*

(Hon. Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

*At this stage, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Sushri S. Jothimani and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अपनी-अपनी सीट पर जाकर विराजें।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अगर आप सीट पर बैठेंगे, तो मैं आपको चर्चा करने की अनुमति दूंगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सीट पर जाकर बैठें।

…(व्यवधान)

**19.01 hrs**

## MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

**माननीय अध्यक्ष :** श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

**SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY):** Mr. Speaker, Sir, with your permission, I beg to move:

> "That an Address be presented to the President in the following terms: -
>
> 'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 29, 2021'."

मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी सरकार के सारे अच्छे कामों का उल्लेख किया। उनके ही दिखाए हुए पथ पर चलकर हमारा यह सदन इस नए दशक में प्रवेश कर रहा है।

Netaji said, "Never lose your faith in the destiny of India. There is no power on the Earth which can keep India on bondage. India will be free and that too soon". आज नेताजी के विचार हर दिन हमारी रगों में दौड़ते हैं।

Prime Minister Modi ji on Netaji's 125$^{th}$ birth anniversary has decided to celebrate his birthday on 23$^{rd}$ January as *Parakram Diwas* every year. This day will be celebrated as a day of patriotic action and spirit of unity of the country. His 125$^{th}$ birth anniversary was celebrated by the Prime Minister in Kolkata. I was lucky enough to see this historic moment with my own eyes. Netaji has

said that one individual can die for an idea, but that idea will after his death incarnate itself in a thousand lives.

मैं इसी सदन के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी को प्रणाम करना चाहती हूं कि जिनके निरंतर परिश्रम से हमारी संसद ही नहीं, पूरे देश को प्रेरणा मिलती है।

लोकतंत्र अभिमान है मेरा, लोकतंत्र सम्मान,

सात वर्ष में किया बस हमने, लोकतंत्र का गुणगान।

*Rabindra Nath Tagore said,

Hoisting high the flag upon the sky- pierced chariot
There he is, there he is out there,
Come Fast, need to pull the chariot rope
Why are you sitting inside your room?
Plunge into the crowd
Occupy your place anyhow you can.

वर्ष 2021 एक बहुत ही ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इसी साल हम आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं उस आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी देने वाले उन लोगों को इस सदन के माध्यम से प्रणाम करती हूं। हमारा देश एक ऐसा देश है, जो इतनी भाषाओं से, इतने राज्यों से, इतने धर्मों से, इतने समुदायों से, इतनी विचारधाराओं से विविध तो है, लेकिन हमारे संविधान से और हमारे सदन से जुड़ा हुआ है। मैं उस संविधान को प्रणाम करती हूं।

*Different languages, different thoughts, different attire,
See this unity in diversity
Watching the rise of the Indian nation
People will be surprised,
People will be surprised*

---

* .....* English translation of this part of the speech originally delivered in Bengali.

इस महामारी के समय में हमारे सभी सांसदगण इस देश की उन्नति के लिए यहां आए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूं।...(व्यवधान) बीता हुआ वर्ष 2020 बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा है, क्योंकि चीन से आया यह नया रोग एक महामारी बन गया और इस वजह से पूरी दुनिया में जीवन और जीविका का बहुत नुकसान हुआ। कोविड-19 से जंग लड़ना सिखाने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस, जो हमारे लिए अपने परिवार को खतरे में डालकर देश के लिए भगवान के रूप में आए ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया आप लोग अपने-अपने आसन पर विराजें। मैं सभी लोगों को पर्याप्त समय पर और पर्याप्त अवसर दूंगा।

...(<u>व्यवधान</u>)

**माननीय अध्यक्ष :** हमारी एक माननीय सदस्या अपना वक्तव्य दे रही हैं, अपनी बात कह रही हैं। आपको भी मैं उतना ही पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

...(<u>व्यवधान</u>)

**संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी):** अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब हम धन्यवाद प्रस्ताव लाकर चर्चा करते हैं तो उसमें शोर-शराबा नहीं होता है। यह एक परम्परा है। ...(व्यवधान) The precedent is that while moving the Motion of Thanks on the President's Address ...(*Interruptions*) This will not happen ...(*Interruptions*) Disruption should not happen ...(*Interruptions*) I appeal to them ...(*Interruptions*) You can speak anything. You can raise any issue on the farmers ...(*Interruptions*) Government is ready to hear each and everything ...(*Interruptions*) I appeal to them to kindly go to their seats and participate ...(*Interruptions*) When we are moving

the Motion of Thanks, disrupting the House is not correct …(*Interruptions*) It is not fair. I appeal to them …(*Interruptions*)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Sir, now the situation is that devils are citing the scriptures …(*Interruptions*) आप लोगों ने खुद प्रेजिडेंशियल एड्रेस पर चर्चा के समय में सभा को चलने नहीं दिया था।…(व्यवधान)

**SHRI PRALHAD JOSHI:** Last time there was no disruption …(*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अगर आप आसन को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूर्ण रूप से पर्याप्त समय पर और पर्याप्त अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 3 फरवरी, 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**19.08 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock on Wednesday, February 3, 2021/ Magha 14, 1942(Saka).*